न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–04, फर्रूखाबाद।

उपस्थित–दीपेन्द्र कुमार सिंह–I... ... ...एच०जे०एस० J.O.Code–UP2720

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–649/2026

CNR Number–UPFR010024112026

1–अवनीश उम्र 34 वर्ष,

2–अनुराग उम्र 41 वर्ष

पुत्रगण–श्याम बहादुर, निवासी ग्राम दानमंडी, थाना जहानगंज, जनपद फर्रूखाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ।

मु०अ०सं०–165/2025

अन्तर्गत धारा– 115(2),117(2),118(2), 352, 351(3)

भारतीय न्याय संहिता, 2023

थाना– जहानगंज

जनपद–फर्रूखाबाद।

<u>द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांक: 17.06.2026</u>

(1) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस०,2023 मय शपथ–पत्र, उपरोक्त मुकदमे में प्रस्तुत किया है। शपथ पत्र में कथन किया है कि शपथी की गिरफ्तारी सम्भव है। प्रार्थी का वर्णित अपराध धारा–482 बी०एन०एस०एस० से प्रतिबंधित धारा नहीं है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा न ही उच्चतम न्यायालय में लम्बित है तथा न ही निरस्त हुआ है। यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है।

(2) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि, "प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें तथाकथित अभियोग में

Digitally signed by DEEPENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.17 16:28:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमीनी विवाद के लम्बित मुकदमों के कारण झूठा अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्तगण का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2026 को अभियोग के बारे में समस्त जानकारी उपलब्ध होने के पूर्व ही जमानत प्रार्थना पत्र योजित करने के कारण कोई बल ना दिये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घंटे विलम्ब से लिखायी गयी है और उसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अथवा वादी एवं गवाहों के बयानों में नहीं दिया गया है। इस मुकदमा में तथाकथित घायल वादी राजेश कुमार व गवाह रुबी के कथन विरोधाभासी है। वादी तथा तथाकथित घायल का चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार वादी के सिर में रॉड से चोट पहुंचाना लिखा है। अभियोग में नामित अभियुक्त श्याम बहादुर द्वारा सिर में डंडा मारना बताया गया, जबकि विवेचक द्वारा तीन डंडे सील किये गये हैं। इस प्रकार वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व बयानों में लोहे की रॉड मारने का कथन किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा घटना के तीन दिन बाद यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण के मुक्का मारने से उसका दांत टूट गया, जबकि वादी के निचले जबड़े में दन्त रोग पायरिया होने के कारण कोई दांत ही मौजूद नहीं था और समस्त दांत बीमारी के कारण उखड़ चुके थे। वादी राजेश कुमार के सिर में जो चोट आयी है वह साधारण किस्म की है तथा एक्स–रे रिपोर्ट में कोई असाधारण स्थिति नहीं है। इस प्रकार धारा 117(2), 118(2) बी.एन.एस. सृजित नहीं होती है। धारा–118 (2) का अभियोग सृजित नहीं होता है, क्योंकि वादी अथवा घायल रुबी का किसी धारदार, आयुध अस्त्र अथवा किसी भोंकने वाले हथियार अथवा किसी रसायन से चोट नहीं पहुंचायी गयी है, इसलिए 118 (2) का मामला नहीं बनता है। तथाकथित अपराध में अभियुक्तगण की कोई भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। समस्त गवाहान द्वारा श्याम बहादुर द्वारा डंडे से वादी के सिर में चोट पहुंचाना बताया गया है, जबकि वादी के सिर में केवल एक डंडे की चोट है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कोई चोट वादी राजेश अथवा रुबी को नहीं पहुंचायी गयी है। विवेचक द्वारा इस मुकदमा के अभियुक्तगण में अभियुक्त श्याम बहादुर व कमलेश को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस लगातार अभियुक्तगों को गिरफ्तार करने हेतु प्रयासरत है, इसलिए प्रार्थी यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के भागने फरार होने अथवा गवाहान, सबूत तोड़ने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।"

(3) अभियुक्तगण के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध वादी राजेश कुमार द्वारा आपत्ति मय शपथ–पत्र इस आशय से प्रस्तुत की गई है कि, प्रार्थी उक्त केस का वादी है तथा मजरूब है। प्रार्थी ने स्वयं व रूबी के साथ घटित घटना का अभियोग सही पंजीकृत कराया है। अभियुक्तगण अवनीश, अनुराग, श्याम बहादुर, कमलेश, शिवम, रामलड़ैते ने दिनांक 04/10/2025 को समय करीब रात्रि 09:00 बजे रंजिश के कारण जान से मारने के लिए घात लगाए बैठे प्रार्थी के गांव में घुसते ही एक राय होकर सन्नी लोगों ने सरिया व डण्डों आदि से हमला कर दिया। तब प्रार्थी/वादी ने 112 नम्बर पुलिस बुला ली, परंतु

पुलिस की मौजूदगी में उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचायीं तथा मारपीट में प्रार्थी का एक दांत तोड़ दिया। प्रार्थी के रूपए 16,000/– भी गिर गए। अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में निडर रहोकर प्रार्थी के साथ घटना कारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से नहीं लिखायी गयी है। घटना दिनांक 04/10/2025 समय 21:00 बजे की है। घटना के उपरान्त वादी/मजरूब उपचार व मेडिकल परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कमालगंज गया, जहां उपचार व मेडिकल रात में किया गया, तत्पश्चात दूसरे दिन दिनांक 05/10/2025 को 13:48 बजे अभियोग पंजीकृत कराया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 घण्टे विलम्ब से नहीं लिखायी गयी है। वादी/मजरूब के 06 चोटें आयी हैं तथा जबड़े के सीधी तरफ कैनाइन दांत टूटा पाया गया। उक्त चोट गम्भीर प्रकृति की चिकित्सक द्वारा बतायी गयी है, जो कुन्द आला हथियार से आना बताया है। उक्त केस में विवेचना चल रही है। घटना में रूबी के भी चोटें आयी हैं। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत मिलने पर वादी/मजरूब को डराऐंगे, धमकाऐंगे तथा मुकदमे में समझौता करने हेतु दबाव बनाऐंगे। उक्त अभियुक्तगण द्वारा अवर न्यायालय में उक्त केस में हाजिर होने हेतु आवेदन किया गया, थाने से आख्या जाने के उपरान्त न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। न्यायहित में अभियुक्तगण अवनीश व अनुराग का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

(4) विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं रूबी के साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से घायल किया गया तथा जान से मारने की कोशिश की गई। अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो अभियुक्तगण गवाहों को डरायेंगे व धमकायेंगे, साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे तथा पुनः इस तरह का अपराध कारित करेंगे। अभियुक्तगण के फरार होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत का घोर विरोध किया जाता है। थाने की आख्या में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया है।

(5) मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

(6) मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायतकर्ता/घायल राजेश कुमार पुत्र स्व० राधेश्याम की लिखित तहरीर पर, मु०अ०सं० 165/2025, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023, दिनांक 05.10.2025 को समय 13:48 बजे अभियुक्त अनुराग, अवनीश, श्याम बहादुर, कमलेश, शिवम और रामलड़ैते के विरुद्ध पंजीकृत की गई। दौरान अन्वेषण धारा–117(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की वृद्धि की गई एवं धारा–191(2), 191(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 का लोप किया गया।

(7) प्रपत्रों का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता/घायल राजेश कुमार को दिनांक 04.10.2025 को समय करीब रात्रि 9 बजे उक्त लोग जान से मारने हेतु घात लगाये बैठे थे, जैसे ही वादी गांव में घुसा वैसे ही उक्त लोगों अनुराग पुत्र श्यामबहादुर व अन्य ने वादी को एक राय होकर लौह की राड से हमला किया, इसके पहले वादी ने 112 नम्बर डॉयल कर पुलिस बुला ली थी। पुलिस के आने के बाद भी उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट से वादी के गंभीर चोट आयी। पुलिस की मौजूदगी में श्याम बहादुर ने माँ बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए, धारदार हथियार से वादी के सिर में प्रहार कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा और उसका एक दाँत भी टूट गया, मारपीट में उसके 16,000/–रुपये कहीं गिर गये। उक्त लोग वादी को जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

(8) केस डायरी पर विद्यमान साक्षियों के कथन अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस०,2023 का अवलोकन किया, जिसमें स्वतंत्र साक्षियों सुमित दीक्षित, संजीव कुमार, रामगोपाल, अखिल मोहन, लवकुश, शशिकांत तिवारी के बयान अंकित है, जिनके द्वारा बताया गया है कि, अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डों व लात–घूसों से मारपीट की गयी थी। घटनास्थल पर डॉयल 112 की पुलिस आयी और बीच–बचाव किया और यह भी बताया कि, लोहे की रॉड आदि से कोई मारपीट नहीं की गई। केस डायरी के पर्चा नम्बर–3 में चिकित्सक डॉ० श्रेय खंडूजा का बयान अंकित है, जिनके द्वारा वादी के कुल छह चोटों का उल्लेख किया गया है, जिसमें जबड़ा में घाव ताजा और उसमें सूजन बताई गई है और चोटें गंभीर प्रकृति की बताई गई हैं। पत्रावली पर इन्हीं साक्षियों द्वारा फोन से बनाये गये वीडियो की पेनड्राइव विद्यमान है, जिसे न्यायालय में स्थापित कम्प्यूटर पर चलवाकर देखा गया, जिसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व सहअभियुक्तगण घटनास्थल पर स्पष्ट दृश्यमान हो रहे हैं और अतिउत्तेजित अवस्था में हमला कारित करने हेतु संकेत इंगित कर रहा है। अर्थात् किसी भी भाँति, प्रार्थी/अभियुक्त का आचरण शांत या बीच–बचाव करने वाला जैसा नहीं प्रतीत हो रहा है। पुलिस की उपस्थिति में भी अभियुक्तगण हमलावर हैं, इससे सहज दर्शित हो रहा है कि, अभियुक्तगण पुलिस बल की उपस्थिति में भी कितने उद्दंड प्रकृति के हैं।

(9) धारा-482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/ धारा-438 दं०प्र०सं०,1973 यह अनुचिंतित करती है कि, किसी अजमानतीय अपराध के होने पर गिरफ्तारी की आशंका में कोई व्यक्ति एक आवेदन करेगा और इस धारा का उद्देश्य इस तरह के किसी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी और अपयश (Disgrace) से मुक्ति प्रदान करना है, किन्तु इस मामले में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है।

(10) इस भाँति, पत्रावली पर विद्यमान समस्त साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय के मत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है।

Bail Application/649/2026 Jahanganj
Avaneesh and one other Vs. State Government

आदेश

(11) प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अवनीश** और **अनुराग** का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र, **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 17.06.2026

(दीपेन्द्र कुमार सिंह–I)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–04, फर्रुखाबाद।